नसीरा/015

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

176/20/225 गणपतनाथ बनाम नौसर

तारीख पेशी	2020/176 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री सीताराम रावत श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
13.10.20	गणपत नाथ धनपतनाथ बनाम नौसर देवी वगैरह पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 25.09.2020 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपीलार्थी/प्रार्थी के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादीया ने राजस्व वाद पेश किया तथा साथ ही वाद पत्र के कथन अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश किया। ग्राम मावशिया में स्थित भूमि के वर्तमान खाता संख्या 113 पुराने 120 के वर्तमान खसरा नम्बर 2126 रकबा 0.04 व खसरा नम्बर 2129 रकबा 0.71 व खसरा नम्बर 2130 रकबा 0.01, खसरा नम्बर 2131 रकबा 0.50 खातेदार आवेदनकर्ता दर्ज है तथा पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि के खातेदार गणपतनाथ पुत्र हीरानाथ जाति कालबेलिया थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 06.09.1989 को हो चुका है जिसकी एकमात्र वारिस पत्नि नाथी के नाम विरासत का नामान्तकरण संख्या 134 दिनांक 20.11.2010 को स्वीकृत किया गया। खातेदार गणपतनाथ की एकमात्र वारिस नाथी का सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 20.10.2010 को जारी किया गया। नाथी देवी ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 08.11.2010 को आवेदनकर्ता को बेचान कर कब्जा संभला दिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा बदनियतिपूर्वक गणपतनाथ के स्वर्गवास के 31 वर्ष अवधि के पश्चात बहुमुल्य भूमि को हड़पने की नियत से नामान्तकरण संख्या 134 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील को उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा दिनांक 04.02.2020 को नामान्तकरण संख्या 134 को खारिज करते हुए वर्तमान अप्रार्थी संख्या 01 गणपतनाथ की अपील स्वीकार कर प्रकरण को तहसीलदार, नसीराबाद के समक्ष निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया आदेश पारित किया गया था पुनःदोबारा उक्त प्रकरण में ही दिनांक 11.09.2020 को अपीलाधीन आदेश बिना किसी आधार के पारित करते हुए गंभीर कानूनी भूल कारित की गयी है जिस पर अपीलांट/प्रार्थी को ना सुना गया। उक्त आदेश से वादग्रस्त आराजी का अपीलांट के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन होने से रोक दिया गया तथा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने उक्त आदेश की आड़ में अपीलांट को मौके पर दखल बाधा कारित करते हुए बेदखल करने पर आमादा एवं अग्रसर है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.09.2020 की पालना व प्रभाव को स्थगित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का अवलोकन किया गया। बाद मनन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का पेश किया, जिस पर दिनांक 11.09.2020 को अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर झगड़ा/विवाद रोकने के उद्देश्य से अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक आराजी मुतनाजा के राजस्व अभिलेख व मौके की यथास्थिति बनाये रखें के आदेश दिये हैं तथा कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेशी पर प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 11.09.2020 की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये है। प्रथम दृष्टया उक्त आदेश से अपीलांट	लगातार

नसीराबाद

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

176/2019-25 गणपतनाथ बनाम श्री गौरा देवी

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2020/0017 श्री सीताराम रावत श्री	
13/10/2020	को किसी भी प्रकार की क्षति उत्पन्न नहीं होती हैं। जहॉ तक अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करना एक विधिक प्रक्रिया में आता हैं। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही किया जाना है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर निर्णित करें। **अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** 13/10/2020 राजस्व अपील अधिकारी अजमेर	